

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ईमेल- higheredu3@rajasthan.gov.in दूरभाष-0141-5153222ए 5153223ए 5153660 (आई.पी.नं.24870)

क्रमांक प. 6(12)शिक्षा/ग्रुप-3/2022


जयपुर, दिनांक:- 28.06.2022

-: आदेश :-

एसबीडी राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर(चूरू) में स्ववित्तपोषित योजना (एस.एफ.एस.) के अन्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल, प्राणीशास्त्र, राजनीति विज्ञान व लोकप्रशासन विषय खोले जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

1. स्ववित्तपोषित योजना (एस.एफ.एस.) के अन्तर्गत खोले गये विषयों के संचालन हेतु नियमानुसार समस्त व्यय महाविद्यालय के स्तर पर वहन किया जावेगा।
2. उक्त संबंध में आयुक्तालय नियमानुसार सम्पूर्ण आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(बृजमोहन जोषिका)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
3. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4(316) आयो/आकाशि/एसएफएस/2021/1680-87 दिनांक 30 जून, 2022

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. कुल सचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित महाविद्यालय को बिन विलम्ब शुल्क के अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने का श्रम करें।
5. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, चूरू
7. संयुक्त निदेशक(अकादमिक) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. प्राचार्य एवं अध्यक्ष, महाविद्यालय विकास समिति एसबीडी राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर (चूरू) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विषयों के अध्यापन कार्य सेवानिवृत्त व्याख्याताओं से नियमानुसार भुगतान पर या महाविद्यालय में कार्यरत नियमित सह/सहायक आचार्य से बिना किसी अतिरिक्त परिश्रमिक भुगतान पर करवाया जाना सुनिश्चित करें। राजनीति विज्ञान व लोकप्रशासन विषय के संबंध में आगामी विकास समिति की बैठक में प्रस्ताव लेकर प्रस्ताव की प्रति आयुक्तालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
9. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. विश्वेश सोनी)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)